

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(पंचायती राज)

क्रमांक: एफ.951(19).(41) परावि/लेखा/नि0आ0/बजट घोषणा/2012-13/2494 जयपुर. दिनांक-01-04-2013

—: अधिसूचना :—

राजस्थान पंचायती राज नियम 1998 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक:- एफ 951(19) (41) परावि/लेखा/नि0आ0/बजट घोषणा/09-10/7387 दि. 22.10.09 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं बैठक भत्तों की दरों में बजट भाषण में घोषणानुसार, निम्नानुसार आंशिक संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

मानदेय की दरें :-

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रु. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रु. प्रतिमाह
1.	2.	3.
जिला प्रमुख, जिला परिषद	7500/-	9000/-
प्रधान, पंचायत समिति	5000/-	6000/-
सरपंच, ग्राम पंचायत	3000/-	3500/-

बैठक भत्ता की दरें :-

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय राशि रु.	संशोधित बैठक भत्ता की दर रु. प्रतिमाह
1.	2.	3.
सदस्य, जिला परिषद	125/-	500/-
सदस्य, पंचायत समिति	100/-	350/-
सदस्य, ग्राम पंचायत	75/-	200/-

उक्त भत्ता संबंधित प्रतिनिधि द्वारा माह में बैठक आयोजित होने पर ही तथा माह हेतु निर्धारित बैठकों में उपस्थित होने पर ही देय होगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी.संख्या 331300289 दि. 25.03.2013 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(अर्पणा अरीरा)
शासन सचिव



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांक:- एफ 951(19) () परादि/लेखा/नि.आ./जिला परिषद/सुजिआ/ 7204

जयपुर, दिनांक 11/10/2012

-अधिसूचना:-

राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक-एफ 951 (19) (41) परादि/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/2012-13/2494 दिनांक 01.04.2013 द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय मानदेय की दरों में निम्नानुसार संशोधन तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-

मानदेय की दरें:-

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रु. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रु. प्रतिमाह
1.	2.	3.
जिला प्रमुख, जिला परिषद	9000 / -	10000 / -
प्रधान, पंचायत समिति	6000 / -	7000 / -
सरपंच, ग्राम पंचायत	3500 / -	4000 / -

जिला प्रमुख, प्रधान एवं सरपंच को मानदेय राशि का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली राशि से किया जावेगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 101702662 दिनांक 01.06.2017 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल की आज्ञा से

(नवीन महाजन)

शासन सचिव एवं आयुक्त



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:-एफ.951 (19) (41)परावि/लेखा/नि. आ./बजट घोषणा/2022 -23/८23

दिनांक:- 7/4/2022

:-अधिसूचना:-

राजस्थान पंचायतीराज राज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.951(19)()परावि/लेखा/नि.आ./जिला परिषद/सुविधा/7204 दिनांक 11.10.2017 द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.951(19)()परावि/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/2012-13/2494 दिनांक 01.04.2013 द्वारा पंचायतीराज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को देय बैठक भत्तों की दरों में माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2022-23 के अनुसार निम्न संशोधन किया जाता है।
मानदेय की दरें:-

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रु. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रु.प्रतिमाह
1.	2.	3.
जिला प्रमुख, जिला परिषद	10,000/-	12,000/-
प्रधान, पंचायत समिति	7000/-	8400/-
सरपंच, ग्राम पंचायत	4000/-	4800/-

बैठक भत्तों की दरें:-

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय राशि	संशोधित बैठक भत्ता की दर रु.
1.	2.	3.
सदस्य, जिला परिषद	500/-	600/-
सदस्य, पंचायत समिति	350/-	420/-
सदस्य, ग्राम पंचायत	200/-	240/-

जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय एवं बैठक भत्तों का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आई.डी. संख्या 332200190 दिनांक 23.03.2022 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

यह आदेश दिनांक 01.04.2022 से लागू होगा।

राज्यपाल के आदेश से

(पी.सी.किशन)
शासन सचिव





राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(पंचायती राज)

क्रमांक:- एफ. 951(19)(41) परावि/लेखा/नि.आ/बजट घोषणा/2022-23/

जयपुर, दिनांक:

:- अधिसूचना :-

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 951(19)(41) परावि/ लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/सुविधा/210 दिनांक 21.02.2023 द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य/जनप्रतिनिधियों के मानदेय की दरों में माननीया उप मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया के द्वारा दिनांक 08.02.2024 की बजट घोषणा के बिन्दु सं.-48 के क्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-
मानदेय की दर -

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रु. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रु. प्रतिमाह
1	2	3
जिला प्रमुख, जिला परिषद	13800/-	15180/-
प्रधान, पंचायत समिति	9660/-	10626/-
संरपच, ग्राम पंचायत	5520/-	6072/-

जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आईडी संख्या 332400440 दिनांक 14.03.2024 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

यह आदेश दिनांक 01.04.2024 से लागू होगा।

राज्यपाल के आदेश से

(अभय कुमार)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक:- एफ. 951(19)(41) परावि/लेखा/नि.आ/बजट घोषणा/2022-23/
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीया उप मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया, राजस्थान सरकार जयपुर
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।

RajKaj Ref

6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज. जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-5) विभाग, राज. जयपुर।
9. निदेशक वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी / अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
12. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पंचायती राज विभाग।
13. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, पंचायती राज विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राजस्थान गजट पत्र भाग-4 में कृपया तत्काल प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।

(प्रताप सिंह पूनिया)
वित्तीय सलाहकार



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
(पंचायती राज)

क्रमांक:- एफ. 951(19)(41) परावि/लेखा/नि.आ/बजट घोषणा/2022-23/

जयपुर, दिनांक:

-: अधिसूचना :-

राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 27 से 30 के अनुसार प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ. 951(19)(41) परावि/लेखा/नि.आ./बजट घोषणा/सुविधा/राजकाज क्रमांक 6149104 दिनांक 15.03.2024 द्वारा जारी पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित सदस्य/जनप्रतिनिधियों को मानदेय की दरों में माननीया उप मुख्यमंत्री (वित्त) महोदया के द्वारा दिनांक 19.02.2025 की बजट घोषणा के बिन्दु सं.-99 के क्रम में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

मानदेय की दरें -

जन प्रतिनिधि का पद नाम	वर्तमान में देय मानदेय दर रु. प्रतिमाह	संशोधित मानदेय दर रु. प्रतिमाह
1	2	3
जिला प्रमुख, जिला परिषद	15180/-	16698/-
प्रधान, पंचायत समिति	10626/-	11689/-
सरपंच, ग्राम पंचायत	6072/-	6679/-

जनप्रतिनिधियों को देय मानदेय का भुगतान राज्य वित्त आयोग के तहत मिलने वाली अनुदान राशि से किया जाएगा।

यह अधिसूचना वित्त (व्यय-5) विभाग की आईडी संख्या 332500330 दिनांक 05.03.2025 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जा रही है।

यह आदेश दिनांक 01.04.2025 से लागू होगा।

राज्यपाल के आदेश से

(डॉ. जोगा राम)

शासन सचिव एवं आयुक्त

जयपुर, दिनांक:

क्रमांक:- एफ. 951(19)(41) परावि/लेखा/नि.आ/बजट घोषणा/2022-23/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीया उप मुख्यमंत्री (वित्त) महोदय, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री, महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग राज. जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त(व्यय-5) विभाग, राज. जयपुर।

9. निदेशक वित्त (बजट) विभाग, राज. जयपुर।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/ अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त।
11. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।
12. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय पंचायती राज विभाग।
13. एनालिस्ट-कम-प्रोग्रामर, पंचायती राज विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने हेतु।
14. समस्त अधिकारी, मुख्यालय।
15. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को राजस्थान गजट पत्र भाग-4 में कृपया तत्काल प्रकाशित करने हेतु प्रेषित है।


(कृष्ण कन्हैया मीना)
वित्तीय सलाहकार